POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 06.03.2025

1. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस द्वारा उत्पादको के प्रोडक्ट का सोशल मीडिया प्लेटफार्म (इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूटयूब आदि) पर प्रचार-प्रसार कराने एवं उत्पादकों को देश के विभिन्न राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कुल 13 अभियुक्तगण(10 पुरूष एवं 03 महिला) गिरफ्तार, कब्जे से 10 लैपटॉप, 02 कम्प्यूटर मय उपकरण, 10 मोबाइल (भिन्न-भिन्न कम्पनी के), 01 प्रिंटर, 06 स्क्रिप्ट, 04 मोहर, 50 सर्टिफिकेट, 17 नोटपैड, 02 शील्ड, 01 नेम प्लेट, 02 खाली चैक बुक बरामद।

डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा द्वारा उपरोक्त गिरोह का पर्दाफाश करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रूपये के इनाम से पुरस्कृत किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- थाना सेक्टर-63 नोएडा की साइबर हेल्प डेस्क पर पिछले कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि थाना क्षेत्रान्तर्गत जी-65 जी ब्लॉक सेक्टर-63 में DISTRIBUTER CHANNEL BHARAT का DISTRIBUTER नाम की एक कम्पनी उत्पादको के प्रोडक्ट का सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार कराने एवं उत्पादको को डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधडी कर रही है। इस सम्बन्ध में शिकायतकर्ता(वादी) निवासी जम्मू द्वारा भी अपने साथ हुई 4,86,000 रूपये की धोखाधड़ी के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था।

उक्त शिकायत एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर DISTRIBUTER CHANNEL BHARAT का DISTRIBUTER में जाकर जांच की गयी तो जांच के दौरान वहां मौजूद एवं काम कर रहे लोगो द्वारा बताया गया कि हम लोग अपने DISTRIBUTER CHANNEL BHARAT का DISTRIBUTER का सोशल मिडिया प्लेटफार्म पर प्रचार-प्रसार करके उत्पादको को प्रलोभित करते है तथा उनको भरोसा दिलाते है कि हम आपके प्रोडक्ट का सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचार-प्रसार करेगें तथा आपको देश के विभिन्न राज्यो में आपके प्रोडक्ट को विक्रय करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध करायेगें, जिससे आपको काफी मुनाफा होगा। जांच के क्रम में इस प्रकार उक्त घटना सत्य पायी गयी।

पुलिस कार्यवाही का विवरण— दिनांक **06.03.2025** को **थाना सेक्टर-63** नोएडा पुलिस द्वारा उक्त सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत की जांच के क्रम में लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए उत्पादको के प्रोडक्ट का सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार कराने एवं उत्पादकों को देश के विभिन्न राज्यों में डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए कुल 13 अभियुक्तगण (10 पुरूष एवं 03 महिला) 1-केशव वशिष्ठ पुत्र संजीव कुमार शर्मा 2-विकास शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा 3-रवि शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा 4-अमित पुत्र प्रेम चन्द 5-प्रदीप पुत्र जगदीश सिंह 6-अविनाश गिरी पुत्र हरीश चन्द्र गिरी 7-आशीष कुमार मौर्या पुत्र सुनील कुमार मौर्या 8-रितेश कुमार पुत्र अनिल कुमार सिहं 9-मनीष गौतम पुत्र नरेश कुमार 10-रितेश कुमार पुत्र कृष्णानाथ 11-निधि पुत्री जगदीश कुमार 12-अंजली पाण्डेय पुत्री अनिल पाण्डेय 13-कृतिका पत्नी रंजीत वर्मा को जी-65, सेक्टर-63 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा उक्त कार्य में प्रयोग किये जा रहे उपकरण 10 लैपटॉप, 02 कम्प्यूटर मय उपकरण, 10 मोबाइल (भिन्न-भिन्न कम्पनी के), 01 प्रिंटर, 06 स्क्रिप्ट, 04 मोहर, 50 सर्टिफिकेट, 17 नोटपैड, 02 शील्ड, 01 नेम प्लेट व 02 खाली चैक बुक बरामद किये गये है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तों द्वारा सोशल मिडिया प्लेटफार्म जैसे- इंस्टाग्राम, फेसबुक एवं यूटयूब आदि पर अपने DISTRIBUTER CHANNEL BHARAT का DISTRIBUTER का प्रचार-प्रसार करके ऐसे उत्पादकों को प्रलोभित करते थे, जो अपने प्रोडक्ट का सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचार-प्रसार कराना चाहते है तथा देश के विभिन्न राज्यो में अपने प्रोडक्ट का विक्रय करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर की चाह रखते है। अभियुक्तगण द्वारा ऐसे उत्पादको को बताया जाता था कि अगर आप हमारी कंपनी का पैकेज लोगे तो हम आपको देश के विभिन्न राज्यो में 08-10 डिस्ट्रीब्यूटर प्रति माह देंगे, जो आपके सामान को जल्दी बिकवाकर आपके मुनाफे को कई गुना तक बढा देंगे और हम आपके प्रोडक्ट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित करेगें। इसके लिए अभियुक्तगण द्वारा उत्पादको से पैकेज के नाम पर लाखो रूपये लेकर उत्पादको के साथ लाखों रूपये की ठगी की जाती थी तथा उत्पादक के न ही किसी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित किया जाता था और न ही उन्हे कोई डिस्ट्रीब्यूटर उपलब्ध कराया जाता था। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा काफी लोगों के साथ लाखों रुपये तक की ठगी की गयी है, जिनकी जानकारी की जा रही है।

अभियुक्तगण द्वारा अधिकतर दूर-दराज एवं गैर राज्य के उत्पादकों को प्रलोभित करके अपना शिकार बनाया जाता था, जिससे कि कोई इनके ऑफिस आकर इनका विरोध ना कर सके। जब पीड़ित व्यक्ति इनके पास फोन करते थे तो इन लोगो द्वारा उनका फोन रिसीव करना बंद कर दिया जाता था।

पूछताछ का विवरण-- उक्त कंपनी मे एच0आर0 मैनेजर अभियुक्ता कृतिका द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मेरी ज्वाइनिंग करीब 02 वर्ष पहले वाया ट्रेड प्रा0लि0 कंपनी मे एच0आर0 के पद पर हुई थी। वह कंपनी भी

हमारे डायरेक्टर मंयक तिवारी की थी। मयंक तिवारी को मैं करीब 02 साल से जानती हूं। मेरे द्वारा कंपनी मे कर्मचारी का चयन और उनके कार्य का निर्धारण किया जाता था। हमारी पूर्व कंपनी पर नोटिस आ रहे थे तो हमने उक्त कंपनी का नाम व पता बदल दिया था। हमारी कंपनी द्वारा उत्पादको को स्क्रिप्ट के अनुसार लुभावने ऑफर देकर अपना पैकेज खरीदने के लिये तैयार किया जाता था और उन्हे बताया जाता था कि अगर आप हमारी कंपनी का पैकेज लेगें तो हम आपको 08-10 डिस्ट्रीब्यूटर प्रति माह देंगे और आपके प्रोडक्ट को सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रसारित करेगें, जिसके लिए हम ग्राहको से लाखो रूपये लेते है। जो ग्राहक व्यक्तिगत रूप से हमारी कंपनी मे आता था तो उसको मैं व कंपनी का डायरेक्टर मंयक डील करते थे। जब हमारे साथ काम करने वाले लोगों का टारगेट पूरा हो जाता था तो हमारे बॉस द्वारा ग्राहको से धोखाधड़ी कर लिए हुए रूपयो मंे से हम लोगो को इनसैंटिव के रूप मे दिया जाता था।

अभियुक्तों का विवरण--

1- केशव वशिष्ठ पुत्र संजीव कुमार शर्मा निवासी 1 रोहताश नगर शाहदरा थाना शाहदरा, दिल्ली (उम्र 38 वर्ष)।

2- विका स शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा निवासी गांव सेहरा, थाना बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर ब्रह्मपुत्र एलक्लेव सेक्टर-07 सिद्धार्थ विहार (उम्र 28 वर्ष)।

3- रवि शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा निवासी 192 गांव सेहरा थाना बीबीनगर, जनपद बुलन्दशहर वर्तमान पता ब्रह्मपुत्र एलक्लेव सेक्टर-7 सिद्धार्थ विहार (उम्र 23 वर्ष)।

4- अमित पुत्र प्रेम चन्द निवासी नियर राज बिल्डर्स करन विहार, खोड़ा कॉलोनी, थाना खोड़ा, जनपद गाजियाबाद (उम्र 27 वर्ष)।

5- प्रदीप पुत्र जगदीश सिंह यादव निवासी ग्राम धामना थाना महाराजपुर जनपद कानपुर नगर वर्तमान पता सेक्टर-70 बसई नोएडा आरडब्ल्यूडी सोसायटी थाना फेस-3, नोएडा (उम्र 28 वर्ष)।

6- अविनाश गिरी पुत्र हरीश चन्द्र गिरी निवासी कोर्ट गांव, थाना घण्टा घर गा0बाद (उम्र 30 वर्ष)।

7- आशीष कुमार मौर्या पुत्र सुनील कुमार मौर्या निवासी ग्राम पंवांरा थाना पवांरा, जनपद जौनपुर वर्तमान पता शीतल विहार शनि मन्दिर के पास खोड़ा कॉलोनी, थाना खोड़ा, जनपद गाजियाबाद (उम्र 24 वर्ष)।

8- रितेश कुमार पुत्र अनिल कुमार सिहं निवासी रामनगर नियर पुलिस चौकी थाना औरंगाबाद, जनपद औरंगाबाद बिहार वर्तमान पता विस्तार कॉलोनी अभयखण्ड 1 इन्द्रापूरम, थाना इन्द्रापुरम, जनपद गाजियाबाद (उम्र 25 वर्ष)।

9- मनीष गौतम पुत्र नरेश कुमार निवासी श्यामनगर कॉलोनी, चन्दौसी थाना चन्दौसी, जनपद सम्भल वर्तमान निवासी सेक्टर-44 नोएडा थाना सेक्टर 39 नोएडा (उम्र 28 वर्ष)।

10- रितेश कुमार पुत्र कृष्णानाथ निवाासी ग्राम मोहिददीनपुर थाना सिकन्दरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर वर्तमान पता प्रशांत विहार खोड़ा कॉलोनी, हनुमान मन्दिर के पास थाना खोड़ा, जनपद गाजियाबाद (उम्र 32 वर्ष)।

11- कृतिका पत्नि रंजीत वर्मा निवासी ग्राम देसरी थाना देसरी, जनपद हाजीपुर (बिहार) वर्तमान पता रामश्याम एनक्लेव चिपयाना बुजुर्ग थाना बिसरख, ग्रेटर नोएडा (उम्र 36 वर्ष)।

12- निधि पुत्री जगदीश कुमार निवासी राजीव नगर पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास, खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा, जनपद गाजियाबाद (उम्र 24 वर्ष)।

13-अंजली पाण्डेय पुत्री अनिल पाण्डेय निवासी थाना लंका जिला वाराणसी वर्तमान पता थाना सेक्टर-58, नोएडा (उम्र 22 वर्ष)।

वांछित अभियुक्त का विवरण--

मंयक तिवारी निवासी वाराणसी।

डायरेक्टर एवं वांछित अभियुक्त मंयक तिवारी की गिरफ्तारी हेतु भी पुलिस टीम का गठन किया गया है जल्द ही गिरफ्तारी सुनिष्चित की जायेगी।

अभियुक्तगण की शैक्षिक योग्याताओ एवं उनके पदो का विवरण:

1-कृतिका-एमबीए-एचआर मैनेजर

2-निधि-बीकॉम-सीआरएम एक्जीक्यूटिव

3-अंजली पाण्डेय-एमबीए- सीआरएम एक्जीक्यूटिव

4-केशव वशिष्ठ-बीटेक-सीआरएम टीम लीडर

5-विकास शर्मा-एमबीए-टीम लीडर

6-रवि शर्मा-बीकाम सेल्स-एक्जीक्यूटिव

7-अमित-बारहवी पास-सेल्स-एक्जीक्यूटिव

8-प्रदीप-एमबीए-सेल्स टीम लीडर

9-अविनाश गिरी-एमसीए-वेब डवलेपर

10-आशीष कुमार मौर्या-बीसीए-ग्रेफिक्स डिजाइनर

11-रितेश कुमार-एमए-वेब डवलेपर

12-मनीष गौतम-बीटेक-आईटी टीम लीडर

13-रितेश कुमार-बीटेक-सीआरएम -एक्जीक्यूटिव

बरामदगी का विवरण--

1-10 लैपटॉप

2-02 कम्प्यूटर मय उपकरण

3-10 मोबाइल (भिन्न-भिन्न कम्पनी)

4-01 प्रिंटर, 06 स्क्रिप्ट

5-04 मोहर

6-50 सर्टिफिकेट

7-17 नोटपैड

8-02 शील्ड

9-01 नेम प्लेट

10-02 खाली चैक बुक

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 108/25 धारा 318(4)/316(2) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट थाना सेक्टर-63, नोएडा।